नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 16 Jul 2025 - 16raj3
epaper.navabharat.news

फरार रोहित तोमर की पत्नी भावना गिरफ्तार, प्रॉपर्टी कुर्की की भी तैयारी

घर से जैगुआर कार, ब्लैंक चेक और दो मोबाइल फोन जब्त

शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संचालक थी

महिला थाने में पूछताछ जारी, बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

राजधानी रायपुर के ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के मामलों में फरार चल रहे सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेन्द्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर के खिलाफ पुलिस लगातार शिकंजा कसते जा रही है। मंगलवार को पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान 11 ब्लैंक चेक, दो मोबाइल, जैगुआर कार जब्त कर रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। अब राजधानी पुलिस भावना तोमर से पूछताछ कर रोहित और वीरेन्द्र तोमर की जानकारी जुटाने में लग गई है। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। इस प्रकरण में पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार भावना शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संचालक थी।

वह कंपनी के नाम से जमीन की खरीदी बिक्री करती थी। दोपहर को भावना तोमर को गिरफ्तार करने के बाद महिला टीम की उपस्थिति में कई घंटे तक लगातार पूछताछ की गई। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों भाई किस राज्य में और कहां छिपे हैं, भावना को पता है। फिलहाल उसे महिला पुलिस थाने में रखा गया है। बुधवार सुबह कार्रवाई के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2013 में तोमर बंधुओं ने अपराध के क्षेत्र में कदम रखा था। तभी से जान से मारने की धमकी देकर और ब्लैकमेल करके मूल कर्ज राशि से कई गुना ज्यादा ब्याज वसूलने के

दो और गंभीर शिकायतें आई सामने

जानकारी मिल रही है कि पुरानी बस्ती थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ दो और गंभीर शिकायतें पहुंची हैं। दोनों मामले कर्जदारों को कई गुना ज्यादा रकम वसूलने के बाद और धमकाने तथा जान से मारने की धमकी देने के हैं। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों के पास उनकी जमीन के दस्तावेज और कोरे चेक हैं, जिन्हें वे लौटा नहीं रहे थे, बल्कि और रकम की मांग करते हुए प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेने की धमकी दे रहे थे। जून में आरोपियों के घर पुलिस की जांच के बाद आरोपी फरार हुए तब वे हिम्मत करके थाने पहुंचे हैं।

18 अगस्त के बाद कभी भी संपत्ति की कुर्की संभव

तोमर बंधुओं के खिलाफ कोर्ट ने उद्घोषणा जारी करते हुए 18 अगस्त तक का समय दिया है। पुलिस के आवेदन पर दोनों फरार आरोपियों को 18 अगस्त तक कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था लेकिन आरोपी पुलिस को पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। यह संभव है कि 18 अगस्त के बाद आरोपियों की प्रॉपर्टी को कुर्क कराने जारी दस्तावेजी कार्रवाई होगी। इससे पहले पुलिस दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर चुकी है।

जैगुआर कार का असली मालिक भी पहुंचा

तोमर बंधुओं की कार जैगुआर जब्ती के बाद गाड़ी का असली मालिक भी मौके पर पहुंचा। यह 15 लाख रुपए की कार भिलाई निवासी मनोज कुमार वर्मा की है। पीड़ित मनोज ने तोमर बंधुओं से 5 साल पूर्व 3 लाख रुपए उधार लिया था और बदले में कार गिरवी में रख ली थी। उधार देने के बाद वह करीब 8 लाख रुपए चुका दिया था, लेकिन इसके बाद भी तोमर बंधु उसकी लग्जरी कार वापस नहीं कर रहे थे और करीब 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे।

“ मिले साक्ष्य के आधार पर रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। कई घंटों तक पूछताछ चली है। उम्मीद है कि दोनों भाइयों के संदर्भ में जानकारी है। बुधवार को कार्रवाई के दौरान मिले सबूत के आधार पर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

- डॉ. लाल उम्मेद सिंह, एसएसपी

दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान 11 ब्लैंक चेक, जैगुआर कार को जब्त किया गया है। अन्य और मामले दोनों भाइयों के खिलाफ सामने आये हैं। इस मामले पर जांच चल रही है।

- विवेक कश्यप, टीआई पुरानीबस्ती

आरोपी फरार हिस्ट्रीशीटर भाइयों वीरेन्द्र सिंह तोमर एवं रोहित सिंह तोमर के खिलाफ सात केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट में आवेदन लगाया है।